N.

R.991-I/15 उ०प्र०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
8–5–15	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसम्मत है कि आवेदक की ओर से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि संहिता की धारा 248 के तहत पक्का मकान निर्माण तोड़ने का आदेश नहीं दिया जा सकता है । इसके लिए स्पेसीफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिए जो कि प्रकरण को लंबित रखने के उद्धेश्य से प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता था जिस समय तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी । अपील में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना विधिसम्मत नहीं है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी 991-I-15

प्र.क. I15/निगरानी

अकीला वनो पत्नि शरीफ खाँ मुसलमान, नि. लालापुरा,
राघौगढ़, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.)

—प्रार्थी

बनाम

म.प्र. शासन जरिये कलेक्टर, गुना

—प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़, जिला गुना के आदेश दिनांक 27.04.15 के विरूद्ध